क्रम संख्या–109 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 ई0

आश्विन 02, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 262/XXXVI (3)/2021/54(1)/2021

देहरादून, 24 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021'** पर दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 23 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने हेतु,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 19 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा 19 में एक नया स्पष्टीकरण निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा अर्थात–

"स्पष्टीकरणः इस अधिनियम के अधीन जो भी परिवाद होगा, वह सम्बन्धित जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्षेत्राधिकार में होगा।"

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्रयोजनार्थ न्यायिक क्षेत्र निर्धारित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 19 में एक नया स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाना आवश्यक है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(सुबोध उनियाल)
मंत्री